रूपम डोरा बनाम हरियाणा राज्य

119

(त्रिभुवन दहिया, जे.)

त्रिभुवन दहिया से पहले, जे.

रूपम डोरा-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य उत्तरदाता 2019 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 18749

09 जनवरी, 2024

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-सेवा समाप्ति-कारण बताएँ नोटिस-सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के पद के लिए प्रासंगिक योग्यता के अभाव में याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता की एमबीई डिग्री को प्रासंगिक माना-सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के रूप में उनकी सेवा को नियमित करते हुए। बाद में सेवाओं को समाप्त कर दिया गया-उत्तरदाताओं ने पाया कि एमबीई डिग्री M.Com डिग्री के समतुल्यता के अभाव में वाणिज्य विषय के लिए प्रासंगिक नहीं है। 'समानता 'और' प्रासंगिकता '-के अलग-अलग निहितार्थ हैं। 'समतुल्यता का अर्थ है समान मूल्य, मानक या क्रेडिट, जिसका समान प्रभाव होता है। `'प्रासंगिकता' का अर्थ है कि कुछ दूसरे के साथ प्रासंगिक या तार्किक संबंध होना, हालांकि दोनों समान नहीं हो सकते हैं। समतुल्य नहीं होना प्रासंगिक नहीं घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है। उत्तरदाताओं का यह मानना गलत था कि एमबीई की डिग्री वाणिज्य विषय के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि डिग्री में M.Com की समतुल्यता नहीं है। सेवाओं को समाप्त करने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए जिस सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया राय तैयार की गई थी, उसका खुलासा किए बिना कारण दिखाएँ नोटिस-एक खाली औपचारिकता है-जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं कहा जा सकता है। जब तक कारण दिखाने के मुद्दे पर राय बनाने की सामग्री/आधार का खुलासा नहीं किया जाता है, तब तक इसका प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दिया जा सकता है और नोटिस को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है। यह किसी भी सुनवाई का समर्थन नहीं करने के बराबर है। उसके बिना-समाप्ति का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। यह आदेश कानून में अस्थिर है। याचिका की अनुमति दी गई। समाप्ति का आदेश अलग रखा गया। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को बहाल करने और सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया। माना जाता है कि 'समानता' और 'प्रासंगिकता' दो अलग-अलग शब्द हैं, जिनके अलग-अलग निहितार्थ हैं। 'दो चीजों के बीच 'समानता' का अर्थ है कि वे एक ही मूल्य, मानक या श्रेय के हैं, जिनका एक ही प्रभाव है; जबकि, 'प्रासंगिकता' का अर्थ है कि कुछ प्रासंगिक है या दूसरे के साथ तार्किक संबंध है, हालांकि दोनों समान नहीं हो सकते हैं। नतीजतन, समकक्ष नहीं होना प्रासंगिक नहीं घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है, और उत्तरदाता एमबीई डिग्री 120 पर विचार करने में गलत थे।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

M.Com डिग्री के समतुल्यता के अभाव के कारण वाणिज्य विषय के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, नियम के अनुसार एक डिग्री संबंधित विषय में होनी चाहिए, जो तत्काल मामले में वाणिज्य है। पूरे विषय को एक संकीर्ण कम्पास तक सीमित नहीं रखा जा सकता है और एक कबूतर के छेद के माध्यम से देखा जा सकता है और इसमें केवल M.Com की एक डिग्री शामिल है। यह सर्वविदित है कि वाणिज्य विषय में, M.Com. डिग्री के अलावा, विश्वविद्यालय मानव संसाधन प्रबंधन, विपणन, विदेशी व्यापार प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग और बीमा, वित्त और यहां तक कि अर्थशास्त्र में भी M.Com की डिग्री प्रदान करते हैं। लेकिन उत्तरदाताओं ने पूरे विषय को उपरोक्त किसी भी विशेषज्ञता के बिना M.Com डिग्री के रूप में देखा, और इसे MBE के बराबर नहीं माना। विषय विशाल है और इसे केवल एक डिग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, वे दोनों मामलों में गलत थे; सबसे पहले, इसे केवल इसलिए विषय के लिए प्रासंगिक नहीं घोषित करना क्योंकि यह M.Com के बराबर नहीं था, हालांकि समानता और प्रासंगिकता अलग-अलग हैं और एक डिग्री समकक्ष नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी दूसरे के लिए प्रासंगिक हो सकती है और दूसरा, एमबीई की M.Com डिग्री के बराबर होने पर विचार करने में और वाणिज्य के विषय के लिए नहीं। एमबीई की डिग्री के वाणिज्य विषय के लिए प्रासंगिक नहीं होने पर किसी भी विशेषज्ञ की राय के अभाव में, याचिकाकर्ता को पद के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता था। (पैरा 6.1.1) ने आगे कहा कि यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता की एमबीई डिग्री को सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के रूप में उनकी सेवा को नियमित करते समय स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा पद के लिए प्रासंगिक माना गया था। उन्होंने समाप्ति से पहले तीन साल से अधिक समय तक इस विषय को पढ़ाना जारी रखा। इसके अलावा, दो अन्य समान रूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसर, जिनकी सेवाओं को याचिकाकर्ता के साथ उसी आदेश दिनांक 12.03.2015 द्वारा नियमित किया गया था, को व्यवसाय प्रबंधन में परास्नातक की योग्यता होने के बावजूद सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के रूप में सेवा में स्वीकार किया गया है, न कि M.Com। इससे पता चलता है कि इसी तरह के अन्य सहायक प्रोफेसरों की प्रासंगिक योग्यता को पद के लिए आवश्यक योग्यता माना गया है, लेकिन याचिकाकर्ता की नहीं। यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इन कारणों से, प्रत्यर्थियों के लिए याचिकाकर्ता को विचाराधीन पद के लिए अयोग्य मानने और उसकी सेवा समाप्त करने का कोई आधार नहीं था। (पैरा 6.1.2) आगू अभिनिर्धारित कयल गेल जे याचिकाकर्ता केँ एहि सारगर्भित जानकारी नहि देलासँ प्रतिवादीसभ हुनका नोटिसक जवाब देबासँ रोकलक अछि। उस सामग्री का खुलासा किए बिना कारण बताएँ जिसके आधार पर याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने और रूपम डोरा बनाम हरियाणा राज्य की मांग करने के लिए प्रथम दृष्टया राय दी जाए

121

(त्रिभुवन दहिया, जे.)

उनका स्पष्टीकरण तैयार किया गया था, यह एक खाली औपचारिकता है और इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं कहा जा सकता है। जब तक कारण बताने के लिए राय बनाने की सामग्री/आधार का खुलासा नहीं किया जाता है, तब तक इसका प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दिया जा सकता है और नोटिस को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है। वास्तव में, यह संबंधित व्यक्ति को कोई सुनवाई नहीं देने के बराबर है। और उसके बिना समाप्ति का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह याचिकाकर्ता के निहित अधिकार को छीन लेता है। इसलिए, यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला और कानून में अस्थिर होने के कारण बुरा है। (पैरा 6.2) आगू अभिनिर्धारित कयल गेल जे चर्चाकेँ ध्यानमे राखिकऽ रिट याचिकाक अनुमति देल गेल अछि। समाप्ति के विवादित आदेश, दिनांक 22.05.2019 को दरकिनार कर दिया जाता है, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने और समाप्ति की तारीख से बहाली की तारीख तक नियमितकरण पत्र के आधार पर सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया जाता है, सिवाय उस अवधि के वेतन के जो उसने काम नहीं किया है। उत्तरदाताओं द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर इन निर्देशों का पालन किया जाएगा। मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिकाकर्ता। रवि प्रताप सिंह, डीएजी, हरियाणा।

त्रिभुवन दहिया, जे। (ORAL) (1) यह याचिका दिनांक 22/27.05.2019, अनुलग्नक पी-11 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की रिट की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के पद के लिए प्रासंगिक योग्यता के अभाव में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

(2) संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः

(2.1) याचिकाकर्ता, जिसके पास गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से व्यवसाय अर्थशास्त्र में परास्नातक (संक्षेप में, 'एमबीई') और चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय (सीडीएलयू), सिरसा से M.Phill (प्रबंधन) की योग्यता है, को बीबीए और बीजेएमसी विभाग में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमन, फरीदाबाद (इसके बाद 'कॉलेज' के रूप में संदर्भित) में अनुबंध के आधार पर अतिथि संकाय के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 19.11.2009 के अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार, अनुलग्नक पी-122

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(2.5) याचिकाकर्ता ने कारण दर्शाओ नोटिस, अनुलग्नक पी-8, का जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि उनकी सेवाओं को विभाग द्वारा उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए विधिवत नियमित किया गया था जो पद के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा, नियुक्ति को संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एमबीई पाठ्यक्रम को एम. ए., एम. बी. ए., M.Com (व्यवसाय अर्थशास्त्र) के रूप में पुनर्निर्धारित किया गया था, इसलिए यह पुनर्गठित पाठ्यक्रमों के बराबर है। और यह कि समान योग्यता रखने वाले अन्य सहायक प्रोफेसर विभिन्न विश्वविद्यालयों में वाणिज्य विभाग में सेवारत हैं। (2.6) इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 21.02.2018, अनुलग्नक पी-9 का दूसरा नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि कारण बताए जाने के लिए उनके जवाब पर विचार किया गया था, और तीन राज्य विश्वविद्यालयों, यानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, एम. डी. यू. और चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय से सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के पद के लिए M.Com डिग्री के साथ एमबीई डिग्री की समानता के बारे में राय देने का अनुरोध किया गया था।

रूपम डोरा बनाम हरियाणा राज्य की एक बैठक

123

(त्रिभुवन दहिया, जे.)

(2.9) वास्तव में, दिनांक 19.05.2017 की बैठक के कार्यवृत्त की मांग करने वाले उनके अभ्यावेदन के साथ-साथ विभाग के विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में, याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। इसलिए, समाप्ति पत्र प्राप्त करने पर, उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य को लिखा, दिनांकित 08.06.2019, अनुलग्नक पी-12 के पत्र के माध्यम से, यह पूछते हुए कि क्या समाप्ति आदेश में उल्लिखित 09.05.2018 दिनांकित कोई संचार कॉलेज में प्राप्त हुआ था। प्राचार्य ने 11.06.2019 दिनांकित पत्र, अनुलग्नक पी-13 के माध्यम से सूचित किया कि उक्त पत्र, दिनांक 09.05.2018, महानिदेशक उच्च शिक्षा द्वारा जारी किया गया है। पंचकुला ने उसे दस्तावेज़ भेजे थे, जो कॉलेज में प्राप्त नहीं हुए थे, न ही यह अभिलेखों में पाया जा सका था। (2.10) इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।

124

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(4) इसके विपरीत, विद्वान राज्य के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता, कॉलेज में एक अन्य संविदात्मक व्याख्याताओं के साथ, दिनांक 12.03.2015 के आदेश के माध्यम से नियमित किया गया था। बाद में, यह पाया गया कि उनके पास प्रबंधन में एमबीई और M.Phil की डिग्री थी, और उन्हें वाणिज्य में नियमित नहीं किया जा सकता था क्योंकि एमबीई की डिग्री सेवा नियमों के अनुसार सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। उत्तरदाताओं द्वारा दायर विश्वास पत्र का उल्लेख करते हुए आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के पद के लिए एमबीई डिग्री के M.Com डिग्री के समतुल्यता के संबंध में, तीन राज्य विश्वविद्यालयों से उक्त समतुल्यता को अस्वीकार करते हुए एक जवाब प्राप्त हुआ था; इसलिए, याचिकाकर्ता को नियमित नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ता के बाकी कथनों का विशेष रूप से खंडन नहीं किया गया है। (5) पक्षों की ओर से विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया गया है और मामले की फाइल पर विचार किया गया है।

रूपम डोरा बनाम हरियाणा राज्य

125

(त्रिभुवन दहिया, जे.)

यह कहते हुए कि 'नवंबर-दिसंबर 2015 में तीन विश्वविद्यालयों से प्राप्त उत्तर के अनुसार, उक्त तुल्यता को उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद हरियाणा राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों अर्थात के. यू. के., एम. डी. यू. रोहतक और सिरसा के विषय विशेषज्ञों की एक बैठक निदेशालय में आई. डी. 1 पर आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सहायक के पद के लिए व्यवसाय अर्थशास्त्र में परास्नातक पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर कॉमर्स '। आदेश निम्नलिखित कारणों से कानूनी रूप से खराब है। (6.1) सबसे पहले, याचिकाकर्ता की एमबीई डिग्री को विषय के लिए प्रासंगिक नहीं मानते हुए उसकी सेवा को समाप्त करने का आदेश, सेवा नियमों-हरियाणा शिक्षा (कॉलेज संवर्ग) समूह बी सेवा नियम, 1986 का उल्लंघन है। सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के पद के लिए आवश्यक योग्यता, जैसा कि नियमों के परिशिष्ट-बी में निर्धारित किया गया है, निम्नानुसार हैः

भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री स्तर पर ओ, ए, बी, सी, डी, ई और एफ के साथ 7 अंक पैमाने में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों या बी के समकक्ष ग्रेड के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड, या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री।

यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि पद के लिए पात्र होने के लिए, किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में परास्नातक की डिग्री या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के पास निर्विवाद रूप से भारतीय विश्वविद्यालय/गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से एमबीई की डिग्री है। उनकी सेवा इस आधार पर समाप्त कर दी गई है कि डिग्री को सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के पद के लिए प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह M.Com डिग्री के बराबर नहीं है, जैसा कि विशेषज्ञों ने राय दी है। जाहिर है, सेवा के वैधानिक नियम के संदर्भ में, 126 में पद के लिए पात्र होने के लिए

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(6.1.1) ‘समानता और प्रासंगिकता दो अलग-अलग शब्द हैं, जिनके अलग-अलग निहितार्थ हैं। ‘दो चीजों के बीच 'समानता' का अर्थ है कि वे एक ही मूल्य, मानक या श्रेय के हैं, जिनका एक ही प्रभाव है; जबकि, 'प्रासंगिकता' का अर्थ है कि कुछ प्रासंगिक है या दूसरे के साथ तार्किक संबंध है, हालांकि दोनों समान नहीं हो सकते हैं। नतीजतन, समकक्ष नहीं होना प्रासंगिक नहीं घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है, और उत्तरदाताओं ने एमबीई डिग्री को वाणिज्य विषय के लिए प्रासंगिक नहीं मानते हुए गलत माना क्योंकि इसकी समकक्षता M.Com डिग्री के लिए नहीं थी। इसके अलावा, नियम के अनुसार एक डिग्री संबंधित विषय में होनी चाहिए, जो तत्काल मामले में वाणिज्य है। पूरे विषय को एक संकीर्ण कम्पास तक सीमित नहीं रखा जा सकता है और एक कबूतर के छेद के माध्यम से देखा जा सकता है और इसमें केवल M.Com की एक डिग्री शामिल है। यह सर्वविदित है कि वाणिज्य विषय में, M.Com. डिग्री के अलावा, विश्वविद्यालय मानव संसाधन प्रबंधन, विपणन, विदेशी व्यापार प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग और बीमा, वित्त और यहां तक कि अर्थशास्त्र में भी M.Com की डिग्री प्रदान करते हैं। लेकिन उत्तरदाताओं ने उपरोक्त किसी भी विशेषज्ञता के बिना पूरे विषय को मतलब M.Com डिग्री के रूप में देखा, और इसे MBE के बराबर नहीं माना। विषय विशाल है और इसे केवल एक डिग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, वे दोनों मामलों में गलत थे; सबसे पहले, इसे केवल इसलिए विषय के लिए प्रासंगिक नहीं घोषित करना क्योंकि यह M.Com के बराबर नहीं था, हालांकि समानता और प्रासंगिकता अलग-अलग हैं और एक डिग्री समकक्ष नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी दूसरे के लिए प्रासंगिक हो सकती है और दूसरा, एमबीई की M.Com डिग्री के बराबर होने पर विचार करने में और वाणिज्य के विषय के लिए नहीं। एमबीई की डिग्री के वाणिज्य विषय के लिए प्रासंगिक नहीं होने पर किसी भी विशेषज्ञ की राय के अभाव में, याचिकाकर्ता को पद के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता था। (6.1.2) यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता की एमबीई डिग्री को सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के रूप में उनकी सेवा को नियमित करते हुए स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा पद के लिए प्रासंगिक माना गया था। उन्होंने समाप्ति से पहले तीन साल से अधिक समय तक इस विषय को पढ़ाना जारी रखा। इसके अलावा, इसी तरह के दो अन्य सहायक प्रोफेसरों, जिनकी सेवाओं को याचिकाकर्ता के साथ उसी आदेश दिनांक 12.03.2015 के माध्यम से नियमित किया गया था, को रूपम डोरा बनाम हरियाणा राज्य में स्वीकार कर लिया गया है।

127

(त्रिभुवन दहिया, जे.)

सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के रूप में सेवा, व्यवसाय प्रबंधन में परास्नातक की योग्यता होने के बावजूद और M.Com नहीं। इससे पता चलता है कि इसी तरह के अन्य सहायक प्रोफेसरों की प्रासंगिक योग्यता को पद के लिए आवश्यक योग्यता माना गया है, लेकिन याचिकाकर्ता की नहीं। यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इन कारणों से, प्रत्यर्थियों के लिए याचिकाकर्ता को विचाराधीन पद के लिए अयोग्य मानने और उसकी सेवा समाप्त करने का कोई आधार नहीं था। (6.2) दूसरा, जब याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट के साथ-साथ विषय विशेषज्ञों की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति मांगी, तो उसे प्रस्तुत नहीं किया गया। समाप्ति के आदेश में दर्ज तथ्य कि मांगी गई जानकारी याचिकाकर्ता को दी गई थी, दिनांकित 19.05.2017 पत्र के माध्यम से, प्राचार्य के जवाब द्वारा गलत साबित होता है, दिनांकित 11.06.2019 पत्र के माध्यम से, कि कॉलेज में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था; रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि वह कभी उसे दी गई थी। स्वयं प्रतिवादी, याचिका पर दायर उत्तर में, विशेषज्ञों की बैठक के कार्यवृत्त, या तुल्यता के संबंध में उनके द्वारा लिए गए निर्णय, या याचिकाकर्ता को भेजे गए 19.05.2017 दिनांकित पत्र या उसे दिए जाने के किसी भी प्रमाण का खुलासा करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि समतुल्यता के संबंध में विषय विशेषज्ञों के इस निर्णय/रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को दूसरा कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। इसलिए, वह रिपोर्ट की एक प्रति के साथ-साथ बैठक के कार्यवृत्त की मांग करने के अपने अधिकार के भीतर थी, क्योंकि केवल उसी आधार पर वह तारीख 3 डी 21.02.2018 के कारण बताए जाने के नोटिस का जवाब दे सकती थी। याचिकाकर्ता को यह सामग्री जानकारी प्रस्तुत नहीं करके, उत्तरदाताओं ने उसे नोटिस का जवाब देने से रोक दिया है। जिस सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने और उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रथम दृष्टया राय तैयार की गई थी, उसका खुलासा किए बिना कारण दिखाएँ नोटिस एक खाली औपचारिकता है और इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं कहा जा सकता है। जब तक कारण बताए जाने के मुद्दे पर राय बनाने की सामग्री/आधार का खुलासा नहीं किया जाता है, तब तक इसका प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दिया जा सकता है और नोटिस को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है। वास्तव में, संबंधित व्यक्ति को कोई सुनवाई नहीं करने के बराबर है। और उसके बिना समाप्ति का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह याचिकाकर्ता के निहित अधिकार को छीन लेता है। इसलिए, यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला और कानून में अस्थिर होने के कारण बुरा है। (6.4) चौथा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता है कि याचिकाकर्ता की एमबीई की योग्यता को प्रासंगिक मानते हुए, उन्हें सहायक प्रोफेसर वाणिज्य के रूप में नियमित/नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ योग्यता के संबंध में किसी भी तथ्य को छिपाने का कोई आरोप नहीं है। इसलिए, एक बार 128

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(7) चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। समाप्ति के विवादित आदेश, दिनांक 22.05.2019, को दरकिनार कर दिया जाता है, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने और समाप्ति की तारीख से पुनर्स्थापना की तारीख तक, दिनांक 12.03.2015 के नियमितीकरण पत्र के आधार पर सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया जाता है। उस अवधि के वेतन को छोड़कर जो उसने काम नहीं किया है। उत्तरदाताओं द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर इन निर्देशों का पालन किया जाएगा। मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। रिपोर्टर-सुब्रत कौर